

किसान हितार्थ समूह के गठन के लिए प्रस्ताव का प्रारूप

आज दिनांकको किसान हितार्थ समूह के गठन के लिए

.....पर, श्री

.....की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें निम्न व्यक्तियों ने भाग लिया तथा सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए।

01)

02)

03)

04)

05)

06)

07)

08)

09)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

प्रस्ताव संख्या १ :-

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि
.....करने के उद्देश्य से कम संख्या 1 से कम संख्या 15, तक के सभी व्यक्तियों को मिलाकर किसान हितार्थ समूह का गठन किया जायगा। समुह का नाम
.....रखने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या २ :-

.....किसान हितार्थ समूह के सदस्यों ने सर्व सम्मति से श्री/श्रीमती/कुमारी
.....को अध्यक्ष रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी
.....को सचिव रूप में तथा श्री/श्रीमती/कुमारी
.....को कोशाध्यक्ष रूप में चुना हैं एवं नियुक्त किया हैं, जो समूह की दिन-प्रतिदिन की गतिविद्यियों की व्यवस्था व संचालन करेंगे और उसके संबंधित सभी प्रकार मामलों में उसकी ओर से तथा उसके नाम से कार्य करेंगे तथापि प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किसी भी समय सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता हैं और उसी प्रकार नये प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।

प्रस्ताव संख्या ३ :-

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि
.....के
.....छाखा में समूह का बचत खाता खोला जाए जिसका संचालन सचिव श्री/श्रीमती.....
.....एवं कोशाध्यक्ष श्री/ श्रीमती
..के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाए।

प्रस्ताव संख्या ४ :-

समूह के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष, सचिव व कोशध्यक्ष को सम्मिलित रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए विषेष । रूप से प्रधाकृत किया जाता हैं।

- i) समूह द्वारा की गई बचतों, उन्हे प्रदान किए गए ;णों, उनसे प्राप्त वसूलियों के संबंध में उचित एवं व्यवस्थित खाता-बही तैयार रखना या रखवाना तथा प्रति वर्ष सम्पूर्ण लेखा को समूह के सदस्यों के समक्ष उनके अनुमोदन एवं स्वीकृती हेतु प्रस्तुत करना।
- ii) समूह को देय सभी प्रकार के भुगतान प्राप्त करना और समूह की ओर से अपेक्षित रसीदों को या पावतियों को जारी करना।
- iii) समूह के सदस्यों की ओर से कोई विधिक कार्यवाही शुरू करना या प्रतिवाद करना तथा सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करना और इस प्रयोजन हेतु किसी अधिवक्ता, वकील या अभिकर्ता को लगाना या उसे विमुक्त करना तथा इससे संबंधित सभी प्रकार के विधिक व्ययों को वहन करना।

प्रस्ताव संख्या ५ :-

सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि समूह का प्रत्येक सदस्य रु.....(रूपया
.....), मात्र की राशि । सप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आधार पर
कोशध्यक्ष/सचिव के पास जमा करेगा, जिसे कोशध्यक्ष/सचिव बैंक के बचत खाते में यथा शीघ्र जमा कर देंगे।
जो सदस्य समय पर बचत की राशि । नहीं जमा करेगा उसे दण्ड स्वरूप रु..... (रूपया
.....), मात्र के साथ बचत की राशि । अगले सप्ताह/पक्ष/माह
में जमा करना पड़ेगा।

प्रस्ताव संख्या ६ :-

यह निर्णय लिया गया कि समूह के किसी सदस्य को यदि ;ण की आवश्यकता पड़ती है तो वह समूह के अध्यक्ष को आवेदन देगा एवं बैंठक में सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाएगा कि उक्त सदस्य को ;ण दिया जाए या नहीं और यदि दिया जाए तो कितनी मात्र तक। ;ण लेने वाले सदस्य को मासिक: ब्याज स्वरूप अदा करना पड़ेगा। सचिव एवं कोशध्यक्ष की यह सामुहिक जबाबदेही है कि उक्त सदस्य के ;ण के

रकम को मासिक किस्त में विभक्त कर उसमे ब्याज की राष्ट्रि। जोड़ कर सदस्य को सुचित कर दे जिससे सदस्य समय पर भुगतान कर दें।

प्रस्ताव संख्या ७ :-

समूह की बैठक मासिक/पार्किक/साप्तहिक अधार पर होगी एवं बैठक में अनुपस्थित सदस्यों या देर से आने वाले सदस्यों से दण्ड स्वरूप रु..... (रूपया), मार्ग की राष्ट्रि। वसुली जाएगी।

प्रस्ताव संख्या ८ :-

समूह के किसी सदस्य के दिवंगत हो जाने पर उसका विधिक उत्तराधिकारी सुविधाओं का हकदार होगा तथा मृतक सदस्य की सभी प्रतिबद्धताओं के लिए भी जिम्मेदार होगा।

प्रस्ताव संख्या ९ :-

यह निर्णय लिया गया कि किसी सदस्य को समूह में से हटाने या समूह में नए व्यक्ति को शामिल करने के लिए बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लेकर ही आगे की कार्यवाई की जाएगी।

प्रस्ताव संख्या १० :-

समूह की अगली बैठक दिनांकको
.....पर दिन केबजे आयोजित होगी।